

**छत्तीसगढ़ शासन**  
**उच्च शिक्षा विभाग**  
**:: मंत्रालय ::**  
**महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर**  
**जिला-रायपुर**

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.09.2022  
कमांक एफ 1-19/2022/38-1:: राज्य शासन, एतद् द्वारा, निम्नलिखित क्रीडाअधिकारी को तत्काल प्रभाव से, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए कॉलम-6 में स्थानान्तरित कर पदस्थ करता है:-

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना	स्थानांतरण का प्रकार	प्रस्तावित पदस्थापना स्थल
1	2	3	4	5	6
1	गोपाल राव उरकुरकर	क्रीडा अधिकारी	शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, राजिम जिला - गरियाबंद	स्वयं के व्यय पर	शासकीय कला वाणिज्य महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर, जिला-रायपुर
2	डॉ. सुरेश कुमार सिंह पवार	क्रीडा अधिकारी	शासकीय मुकुटधर पाण्डेय महाविद्यालय कटघोरा, जिला - कोरबा	स्वयं के व्यय पर	शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर
3	डॉ. प्रमोद कुमार तिवारी	क्रीडा अधिकारी	शासकीय महामाया महाविद्यालय रतनपुर जिला - बिलासपुर	स्वयं के व्यय पर	शासकीय जे.पी. वर्मा पी.जी. कला/वाणिज्य महाविद्यालय, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर
4	श्री प्रकाशचंद चन्द्रवंशी	क्रीडा अधिकारी	शासकीय बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा	स्वयं के व्यय पर	शासकीय आदर्श महाविद्यालय रायपुर जिला-रायपुर
5	श्री सुनील गौराहा	क्रीडा अधिकारी	राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला - सरगुजा	स्वयं के व्यय पर	शासकीय इ.राघवेन्द्र राव विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर जिला - बिलासपुर

कमंशः ..... 2

6	श्री विश्वास विश्वकर्मा	वरिष्ठ क्रीड़ाधिकारी	शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज	स्वयं के व्यय पर	शासकीय लक्ष्मणेश्वर महाविद्यालय खरौद, जिला जांजगीर चांपा
7	डॉ. अजय सिंह	क्रीड़ा अधिकारी	शासकीय इ.राघवेन्द्र राव विज्ञान महाविद्यालय, बिलासपुर जिला- बिलासपुर	प्रशासनिक	राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुंजा
8	डॉ. जे.के. मिश्रा	क्रीड़ा अधिकारी	शास. गजानंद अग्रवाल पी.जी. महा., भाटापारा	प्रशासनिक	शासकीय लरंगसाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामानुजगंज <i>जिला बलरामपुर</i>

2/ उपरोक्त सभी स्थानांतरण वर्ष 2022 के लिए जारी स्थानांतरण नीति में निहित प्रावधान के अंतर्गत किये गये हैं। स्थानांतरित कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

3/ अनुसूचित क्षेत्र के शासकीय सेवक का गैर अनुसूचित क्षेत्र में स्थानांतरण होने पर उसके स्थान पर एवजीदार के उपस्थिति के उपरांत ही उसे कार्यमुक्त किया जाए।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार  
*[Signature]*  
(आर.ए.नेमलकर)  
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग  
नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.09.2022

कमांक एफ 1-19/2022/38-1

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला- रायपुर
  - 2 उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, छ.ग. शासन।
  - 3 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर (छ.ग.)
  - 4 महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर
  - 5 आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छ.ग. रायपुर। (छ.ग.)
  - 6 क्षेत्रीय अपर संचालक, संभाग-..... (छ.ग.)
  - 7 संबंधित कलेक्टर, जिला -..... (छ.ग.)
  - 8 संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला-..... (छ.ग.)
  - 9 संबंधित प्राचार्य -..... (छ.ग.)
  - 10 संबंधित -..... (छ.ग.)
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11 आदेश फोल्डर

*[Signature]*  
अवर सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग